



2026:AHC:129699

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21916 वर्ष 2026

सत्यम कन्नौजिया

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अनन्या उपाध्याय, राकेश चन्द्र उपाध्याय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश चन्द्र उपाध्याय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 91/2026, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 थाना कटरा, जिला मिर्जापुर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने पीड़िता का अपहरण नहीं किया और न ही उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दिए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ लखनऊ गई थी और उसने आवेदक के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध होने से इनकार किया है। आवेदक 30.04.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता नाबालिग है और यह स्वीकार किया गया है कि वह आवेदक के साथ गई थी, जिससे स्पष्ट रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से आवेदक के खिलाफ अपराध बनता है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान का अवलोकन करने से पता चलता है कि पीड़िता अपनी मर्जी से आवेदक के साथ घर से निकली थी। उसने आवेदक के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित करने से इनकार किया है और आवेदक से शादी करने से भी इनकार किया है। इसके विपरीत, उसने कहा है कि उसके परिवार वालों ने आवेदक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

8. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले/अपराध संख्या में शामिल आरोपी-आवेदक **सत्यम कन्नौजिया** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की



कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,)

30 जून, 2026

ए. पांडेय